आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

सैमथुन स्वंय सहायता समूह

एस ,एच, जी, नाम	सैमथुन स्वंय सहायता समूह
बी, एम, सी, कमेंटी	डेमुल
एफ, टी, यू ,रेज	काजा
डी, एम, यू,	सिपिति
एफ सी सी यु/सर्किल	षिमला

हिमाचल प्रदेष वन परितंत्र प्रबंधन एव आजिविका सुधार परियोजना

(जाईका वित्तपोषित)

अनुक्रमणिका

क्रमाक	विवरण	पृष्ठ सख्या
01	कार्यकारिणी सांराष	1–2
02	परिचय	3
03	स्वंय सहायता समूह की सूची	4
04	समूह का विवरण	5
05	ग्रम की भौगोलिक सिथति	6 – 7
06	आय सृजन गतिविधियो से सम्बंधित उत्पादन	8
07	उत्पादन हेतु नियोजन	9
08	बिक्री का विपरण	10
09	समूह के मध्य प्रबंधन का विवरण	10
10	षकिति दुर्बलता अवसर जोखिम का विषलेषण	11
11	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	11 – 13
12	उद्यम हेतु अनूमानित लागत	14
13	उद्यम लागत	14
14	समूह की वितिय आवष्यकता	14
15	सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइट)	15

16	स्वय सहायता समूह के नियमों की सूची	16
17	समूह का सहमति पत्र	17
18	समूह के सदस्य का फोटो	

1, परिचय

हिमाचल प्रदेष के पष्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाडी राज्य है।जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्रि संस्कृति के लिए पसिद्र है। हिमाचल प्रदेष की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी बडी नंदिया व घाटिया प्रदेष की सुंदरता को बढाती है प्रदेष की कुल आबदी 30 लाख है। इस का भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि ष्विालिक पहाडियो के ऊपरी हिमालय के षीत मरूस्थ्ल तक फैला हुआ है। यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल के 12 जिलो में स्पिति जिला पर्यटन कृषि व जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्र है।

गांव ड़ेमुल डाकघर, ड़ेमुल तहसील स्पिति जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेष में स्थित है जिले की घाटियो को भैतिक सरचना के आधार पर तरह तरह के नाम दिये गए है जिस में एक नाम ड़ेमुलहै। काजा स्पिति मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दुरी पर है।

गांवड़ेमुल मे लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी है। अधिकतर लोगो के पास बहुत का जमीन है जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह अच्छे ढ़ग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है गांव मे लोग बुनाई का कार्य भी कर रहें है। पंरतु उत्पादन पांरपरिक तरीके से होता है।इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है इस समस्या को दुर करनें के लिए व उत्पादको का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उतम किस्म के यंत्रो के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उनकी जानकारी की आवष्यकता है।

हिमाचल प्रदेष वन परितंत्र एंव प्रंबधन एंव आजीविका सुधार परियोजना ने गांव मे ग्रम वन समिति ड़ेमुल के गठन के बाद लोगो को आजीविका के साधन बढाने के लिए समूह में कार्य करने के बोरे में बताया परियोजना के माध्यम से हिक्किम में 02 स्वय सहायता समूहों का गठन किया गया रंगषुग स्वय सहायता समूह व आत्मा स्वय सहायता समूह के रूप में किया गया इसके बाद आत्मा स्वय सहायता समूह ने का कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 20 सदस्या षामिल हुए।

सैमथुन स्वय सहायता समूह का फोटोग्रफ

गांवड़ेमुल

2.सैमथुनस्ंवय सहायमा समूह की सूची।

क्रमाक	सदस्यो का नाम	पद	आयु	लिंग	योग्यतक	श्रेणी	संम्पर्क
01	छेरिग	सदस्य	58	स्त्री		एस.टी	
02	भुटित	सचिव	41	स्त्री		एस.टी	
03	रिंगजिन	सदस्य	58	स्त्री		एस.टी	
	पासग	सदस्य	60	स्त्री		एस.टी	
04	कार्मा	प्रधान	38	स्त्री		एस.टी	
05	सोनम	सदस्य	31	स्त्री		एस.टी	
06	दोरजे डोलमा	सदस्य	64	स्त्री		एस.टी	
07	सोनम डोलकर	सदस्य	25	स्त्री		एस.टी	
08	नांवग छुकित	सदस्य	18	स्त्री		एस.टी	

3. सैमथुनस्ंवय सहायता समूह का विवरण

01	समूहकानाम	सैमथुन स्वंय सहायता
02	ग्रम वन विकाससमिति	स्पिति
03	वन परिक्षेत्र क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	काजा
04	वन मंडल मंडडलीय प्रबंधन इकाई	स्पिति
05	गांव	ड़ेमुल
06	विकासखड़	काजा
07	जिला	लाहौल स्पिति
08	समान सूची समूह में कुल सदस्यो की संख्या	08
09	स्मूह की गठन की तिथि	
10	बैक खाता सख्या	
11	बैक का नाम और ष्साखा जंहा समूह का खाता संचलित है।	
12	स्ंवय सहायता समूह की मासिक बचत	

13	कुल बचत	
14	सदस्यो को आपस में दिया गया ऋण	
15	नगदी जमा करनें की सीमा	
16	चुकौती की स्थिति	

4. गॉव की भौगोलिक स्थिति

01	जिला मुख्यालय से दूरी	30 किलोमीटर लगभग
02	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	ताबो 30किलोमीटर लगभग
03	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	काजा
04	08 किलोमीटर लगभग	ताबो 30 किलोमीटर लगभग
05	मुख्य षहरो के नाम जहां उत्पादन का विक्रय विपणन किया जाएगा	काजा, रामपुर, कूल्लू, मनाली।
06	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबध मे गांव की कोई विषेष सूचना	
07	पिछले पूर्व और आगामी संपर्को की स्थिति	

(1) व्यवसाय योजना की आवष्यकता

ग्राम वन विकास समिति ताबो में महिलाओं का पहले से गठित समूह है जिस मे

समूह की सभी महिलाएं खड़ी का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है। इसलिए महिलायों ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से बुनाई की मषीन प्रदान करने तथा उचित प्रषिक्षण की मांग की है।

(2) व्यवसाय योजना के उद्देष्य

समूह के सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
उत्पादन को उचित बाजार से जोडनां।
सभी सदस्य को समूह मे काम करने के लिए प्रेरित करना।
बुनाई व हथकरघा व्यवसाय की नवीनतम एंव आधुनिक तकनीकों को बढावा देना।
आजीविका की बढोतरी।

(3) व्यवसाय योजना में निम्र कार्य षामिल है।

बुनाई कोटी स्वेटर बच्चो के सेट टोपी जुराबे इत्यादी षामिल है।
हथकरघा गलीचे बनाने का कार्य षामिल है।

(4) सामुदायिक गतिषीलता

इसके अंतर्गत ग्रमीणो में जागरूकता एंव सामुदायिक गतिषीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभर्थी की छटनी की गयाी है।

(5) समूह का निर्माण

स्ंव्य सहायता समूह के सदस्यो को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया तथा समूह का अध्यक्ष सचिव का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह के सदस्यो की सहमती से समूह के लिए नियम व षर्ते निधारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(6) क्षमता का निर्माण

लाभार्थी की क्षमता निमार्ण हेतु उनका उचित प्रषिक्षण करवाया जाना आवष्यक है।

(7) मषीन व खडी इत्यादी का वितरण

समूह के सभी सदस्यो को अच्छी किस्म की मषीनें उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढग से कार्य कर सके।

(8) बाजार से जोडना

अपने उत्पादन बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित षर्ते के साथ संबध स्थापित करने के लिए तैयार है व्रिकय के लिए लोकल बाजरों के दुकानदारो से जोड कर मेलो में प्रदर्षनी लगााकर आय कमाने हेतु जो

जाएगा।अधिक उत्पादन होने पर कूल्लू व रामपुर बजार के क्षेत्र में दुकानदारो से जुड कर कार्य करेगी।

(9) वितीय संसाधनो एंव संगधित विभागो से जोड़ना।

यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वितिय संस्थानो से जोडने का प्रयास किया जाएगाा तथा उन्हें विभ्न्नि बैको द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओ से अवगत करवाया जाएगाा तथा परियोजना द्वारा बैकों से जोडा जाएगा।

(10) बाजार की जानकारी।

काजा, रामपुर ,कूल्लू, मनाली के क्षेत्रो मे दुकानदारो के साथ जुड कर कार्य करेगी।

(11) आपेक्षित सहायता एंव संसाधन।

वितीय प्रबंध (पूंजीगत व्यय का 75% श्रेणी बार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी षेष 25% सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।

कुलः 20 सदस्य

तकनीकी : तकनीकी सहायता गॉव में ही मास्टर टेनर लगााकर परियोजना द्वारा उचित प्रष्क्षिण का प्रावधान परियोजना द्वारा दिया जाएगाा।

(12) आनुमानित लाभ।

महिलाओं केलिए घरेलु रोजगार उपलब्ध होगा।
समूह के सभी सदस्यो के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एंव निंरतर साधन उपब्ध होगा।

समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एंव अतिरिक्त समय में कर सकती है।

5.आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादन का विवरण।

1	उत्पादन का नाम	खडी
2	उत्पादन की पहचान की पद्धति	
3	स्वय सहायता समूह / समान सूची समूह / सदस्यों की सामूहिक सहमति।	08

6. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण।

सर्वप्रथम स्वय सहायता के सदस्यो को परियोजना द्वारा कोटी ,स्वेटर, जुराबे ,बेबी सेट, टोपी ,मफलर, आदि का प्रषिक्षण दिया जाएगा। प्रषिक्षण के उपंरात समूह के सदस्य द्वारा उत्पादन तैयार करने में निम्न प्रकिया की जाएगी।

समूह के सभी सदस्य मिल कर कार्य करेगें।
समूह में सभी सदस्य विपणन करेंगें और कच्चा माल भी लाएंगे।
समूह के सभी सदस्य प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे काम करेगी।

7.उत्पादन हेतु नियोजन।

प्रतिमाह कार्य दिवस : 30
प्रतिमाह कार्य करने वाले व्यक्ति : 08
कच्चे माल के स्त्रोः काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
अन्य संसाधन के स्त्रोः काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।

1	उत्पादन चक्र (दिनो में) 30 दिन प्रतिदिन 4से 5 घण्टें कार्य करेगी।	
2	प्रतिचक्र कार्यकताओं की आवष्यकता सख्यां	
3	कच्चे माल के स्त्रो	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
4	अन्य संसाधन के स्त्रो	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।

नोट : स्वय सहायता समूह के प्रषिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है।तथा इस व्यवसाय योजना मे

षामिल नहीं है।

8.बिक्री का विवरण।

1	संभावित बाजार स्थ्ल	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
2	इकाई से दूरी	काजा : 47 रामपुर : 305 कुल्लु : 222 मनाली : 231
3	बाजार में उत्पादन की मांग	
4	बाजार में पहचान की प्रकिया	लोकल बाजारों को चिन्हित किया गया है। जैसे की काजा कूल्लु रामपुर मनाली
5	उत्पादन कें संभावित खरीदार	मांग के अनुसार उत्पादन घटाया या बढाया जाएगा।
6	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्थानीय निवासी
7	उत्पादन का विपणन तंत्र	गॉव व षहर की महिलाएं पुरूष
8	उत्पादन की विपणन रणनीति	1. 2, समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाएगा।

9.समूह के सदस्य के मध्यप्रबंधन का विवरण।

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जांएगे।
समूह के सदस्य आपसी सहमती से कार्य करगी |
कार्य कुषलता एंव क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएंगा।
विपणन करने वाले सदस्य को कुल 5% कमीषन दी जाएंगी।
प्रधान व सचिव प्रबंधन का मूल्याकन एंव आवलोकन समय समय पर करते रहेगे।

10. ष्वक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विष्लेषण।

षक्ति।

महिलाओं मे कार्य करने की लगन है।
पहले से ही सभी महिर्लो का काम करती है।
समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता।

महिलाऐं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती है।
कार्य के लिए 4 या 5 घण्टें ही निकाल पाना।

अवसर।

हिमाचल प्रदेष वन परितंत्र प्रबधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
प्रषिक्षण से कुषलता व क्षमता में बढोतरी होगी।
उत्पादको की लोकल व षहरों में मांग है।
काजा , कूल्लु, रामपुर,मनाली , चंद्रताल ,पर्यटक स्थल है।
अच्छे उत्पादन तैयार करना।

चुनौती।

बजार की स्थिति को ना समझना।
अन्य उत्पाद केंद्रो से प्रतिस्पर्धा।
उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।
अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यो में व्यवस्था।

11.संभावित चुनौतियों तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण।

क,स	जोखिम / चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
1	बजार की स्थिति को ना समझना।	समय – समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।
2	अच्छे उत्पादन तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपंसद उत्पाद तैयार करना।
3	अन्य उत्पाद केंद्रो से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व षुरू में कम लाभ कमाना।
4	उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेषा संपर्क में रहना।
5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यो में ज्यादा व्यवस्था।	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के कार्य के साथ साथ बुनाई में ध्यान देना।
6	समूह में बंटवारा	समूह में बंटवारा कुषलता व क्षमता के आधार पर करना।
7	उत्पादन की गुणवता घटने से बिक्री कम हो सकती है।	गुणवता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मांपदंड रखने होगे।

12. उद्यम हेतु अनुमानित लागत।

(1)पूजीगत व्यय।

कमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंष 75%	लाभार्थी अंष 25%
1	गलीचे/ खडी	01	16000	16000	12000	4000
2	Woolspining Machine	06	8000	48000	36000	12000

	योग			64000	48000	16000

(2)आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए) एक महीना लिया गया है।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराषि
1	कच्चा माल घागा	किलोग्राम	60	400	24000
2	सुतर घागा	किलोग्राम	50	300	15000
3	मजदूरी	दिन	30	350	10,500
4	अन्य खर्चा पेकेंज,स्टीकर,बिजली कमरा, किरया, परिवहन खर्चा इत्यादि				12000
5	**कुल योग**				**61500**

(3)उत्पादन की लागत

क्रमांक	विवरण	धनराषि
1	कुल आवती लागत	61500
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	6400
3	**योग**	67900

(4)विक्रय मूल्य की गणना ।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराषि
	उत्पादन की लागत				
1	गलिचे	नंबर	05	5000	25000
2	गलिचे	नंबर	05	10000	50000
3	कुल लागत		10 नग		75000

(5)उत्पादन की अनुमानित विक्रय।

निरधरित लाभ (प्रतिषत में)

1.	**ग्लीचा**	**80%**	**10**	**4000**	**40000**

13. उद्यम हेतु लागत – लाभ विषलेष्ण (एक चक्र के लिए

क्रमांक	मद	धनराषी
	प्जींगत व्यय पर 10%वार्षिक ह्रास	6400
	आवर्ती व्यय	61500
	कुल उत्पादन (न. में)	10 नग
	उत्पादन की विक्रि प्रतिमाह	40000
	उत्पादन की बुनाई से आय	40000
	कुल लाभ = बिक्री मूल्य– (पूजीगत मूल्य ह्रास+ आवर्ती मूल्य) = 40000–(6400 + 61500)	27900
	उत्पादन की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी +कमरा किराया = 27900 +10500 +3000	41400

यह धनराषी मजदूरी व किराये की धनराषी के अतिरिक्त है

14.धन की आवष्यकता

क्रमांक	विवरण	राशि
1	परियोजना द्वारा पूंजीगत व्यय का 75%अनुदान	48000
2	लाभार्थी अंष 25%पूंजीगत व्यय	16000
3	अन्य व्यय	6000
	प्रषिक्षण	55000
	ष्योग	125000

15. सम विच्छेदन बिन्दु (ब्रेक इविन व्वाइन्ट) की गणना।

ब्रेक इविन प्वाइन्ट = पूंजीगत व्यय/ विक्रय मूल्य – आवर्ती व्यय

= 64000/40000 – 61500

= 64000/21500

= 2.98माह= 2.98 × 30= 90 दिनलगभग

अतः लगभग से दिनों में सम विच्छेदन बिन्दु प्राप्त किया जाएगा।

16. स्वय सहायता समूह नियमो की सूची।

1. समूह का काम : खडी
2. समूह का पता : गाँव डेमुल, डाकघर डेमुल, तहसील सिपिति जिला लाहौल सपिति हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुल सदस्यः 08
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ;
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 10 तिथि को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राषि को समूह में जमा करेगें।
8. स्वय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वय सहायता समूह का खाताहिमाचल प्रदेश KCCB KAZAशाखा में खोला है खाता संख्या नंबरहै।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।
11. समूह में जो बचत की राषी जमा नहीं करवाते या 3 बेठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते है तो उस महिला को समूह से निकाल दिया जाऐगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगें तो खर्च मिल कर देना होगा।
13. भविष्य में स्वय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगें।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्व कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगें।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ समता है अन्यथा नही
17. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए।
19. स्वय सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
20. बड़ें ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बांटी जाएगी।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit)के कार्यालय में देनी होगी।

सहमति पत्र

सैमथुन स्वंय सहायता समूह का फोटोग्रफ।